भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1102
****

गुरूवार, 8 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नए विमापत्तनों की स्थापना

1102. श्री महाबली सिंहः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में देश में पचास नए विमानपत्तनों की स्थापना करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विमानपत्तनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) देश में विमानपत्तनों की स्थापना के लिए विद्यमान नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नए विमानपत्तन की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का सासाराम के आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास के लिए एक नए विमानपत्तन की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस मामले में संबधित संसद सदस्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) : केंद्रीय बजट 2023-24 में, यह कहा गया है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए और पचास हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों, वॉटर एयरोड्रोमों तथा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

इस संबंध में, 01.04.2023 से 31.03.2026 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया है। दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार , चिह्निनत 33 हवाईअड्डों के लिए 644 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ): देश में नए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए भारत सरकार ने ग्रीनफ़ील्ड विमानपत्तन (जीएफ़ए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करने में इच्छुक है, तो उनसे अपेक्षित है कि वे उचित साइट को चिह्निनत करें और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करवाएँ तथा 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अप्रचालित एवं अल्पप्रचालित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार/स्तरोन्नयन क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत वैध बोली के माध्यम से इसे चिह्नित किए जाने तथा चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड किए जाने पर किया जाता है।

(ङ) से (छ) : अब तक, जीएफ़ए नीति के तहत बिहार के काराकाट तथा सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए न ही राज्य सरकार से और न ही किसी अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संबंधित माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों के प्रत्युत्तर में उन्हें भी अवगत करा दिया गया है।

******